नम्बर व ता...
अहकाम जो ...
हुक्म की तामी...
से जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 46/12 उपनिवेशन विविध

देवीलाल पुत्र सोहनलाल जाति विश्नोई निवासी 13 के.डी. तहसील घडसाना जिला गंगानगर

—प्रार्थी

: ब ना म :

रामस्वरूप पुत्र श्री मोमनराम जाति मेघवाल निवासी 12 के.डी. तहसील घडसाना जिला गंगानगर

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

उभयपक्ष हाजिर नहीं।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

जिला कलेक्टर

: आदेश :

दिनांक 23.12.19

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र दिनांक 04.04.2000 को जिला कलक्टर, गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आंवटित भूमि ग्राम फूलेजी तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर की होने के कारण प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी के पिता मोमनराम के वारिशान के रूप में अकेला अप्रार्थी ही वारिश है। अप्रार्थी ने फर्जी भूमिहीन का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फूले जी तहसील लूनकरणसर के मु.नं. 57/16, 93/34,93/43 क्रमशः 25—25 बीधा कुल 75 बीधा आवंटित करवाली। अप्रार्थी के पास ग्राम गूजरी तहसील घडसाना के चक 12 के.डी के मु.नं. 103/74 में 17 बीधा नहरी भूमि तथा चक 11 जी.बी. अनूपगढ में भी नहरी भूमि कब्जा काश्त में है। अतः प्रार्थी को आंवटित भूमि निरस्तं की जावे।
2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री जगदीश शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालनामा पेश किया गया।
3. दिनांक 15.03.17 को स्वयं प्रार्थी ने उपस्थित आकर निवेदन किया कि उसके द्वारा अप्रार्थी श्री रामस्वरूप के विरूद्ध चुनावो की रंजिश के कारण झूठी शिकायत की थी। प्रार्थी अपनी झूठी शिकायत पर कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है। अतः कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हुआ है। इन परस्थितियों में प्रकरण में हम यह उचित समझते है कि राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंधन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर को प्रार्थना पत्र मय मूल पत्रावलियों के प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में किए गये आवंटन की विधिवत विस्तृत जांच कर समुचित कार्यवाही करे। यदि जांच में आवंटन नियम विरूद्ध पाया जावे तो नियमानुसार आगामी कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. आदेश आज दिनांक **23.12.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर